



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX



एन-5 N-5, टाऊन सेंटर TOWN CENTRE, सिडको CIDCO,  
औरंगाबाद AURANGABAD (एम.एस. M.S.) - 431003

वेबसाइट/WEBSITE : www.centralexciseaurangabad.gov.in ई-मेल/E-Mail : cexauran@excise.nic.in

फोन Phone : 0240-2484975 ईपीएबीएक्स EPABX : 0240-24858 49/52/57/59/63/64 फैक्स Fax : 0240-2483303

### स्थायी आदेश

विषय:- सरकारी कार्मिकों के मामलों की समीक्षा करने हेतु सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली के एफ.आर. 56(जे) तथा नियम 48(1)(बी) के तहत जांच समिति का गठन करने के संबंध में ।

के.उ.शु. तथा सी.शु. बोर्ड के पत्र सी.50/74/2015-प्रशा.II, दिनांक 14.08.2015 के अनुसरण में सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली के एफ.आर. 56(जे) तथा नियम 48(1)(बी) में निहित प्रावधानों के तहत उन सरकारी कार्मिकों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जानी है, जो 50/55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले हैं । अतः आयुक्तालय स्तर पर समूह 'ख' तथा 'ग' के अधिकारियों के निष्पादन की समीक्षा करने हेतु जांच समिति का गठन किया गया है । जांच समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. आयुक्त                | : अध्यक्ष |
| 2. अपर आयुक्त            | : सदस्य   |
| 3. सहायक आयुक्त (तकनीकी) | : सदस्य   |
| 4. अधीक्षक (सतर्कता)     | : सदस्य   |

ह./-28.12.2015

(सी. एल. महर)

आयुक्त

फा.सं. II/03-.6/गोप./2015/पार्ट.1

औरंगाबाद, दिनांक 28.12.2015

प्रति प्रेषित :-

1. प्रधान मुख्य आयुक्त (प्र.मु.आ.का.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई जोन-1
2. मुख्य आयुक्त (मु.आ.का.), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, पुणे जोन ।
3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, नागपुर जोन ।
4. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
5. अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
6. सभी उप/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
7. सभी अनुभाग प्रभारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
8. संबंधित अधिकारी ।